भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1874

उत्तर देने की तारीख : 11.12.2025

पालनाडु, आंध्र प्रदेश में एमएसएमई योजनाएं

1874. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान उद्यम पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पंजीकृत एमएसएमई की वर्षवार और श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान पालनाडु जिले में लाभार्थियों की वर्षवार और योजना-वार (महिलाएं, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पालनाडु जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(घ) पालनाडु जिले में प्रदान की गई ऋण सहायता का प्राप्त, स्वीकृत, वितरित और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के पास लंबित ऋण आवेदन का श्रेणीवार ब्यौरा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक) क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान पालनाडु जिले में कार्यरत, स्वीकृत या प्रस्तावित एमएसएमई क्लस्टरों, सामान्य सुविधा केंद्रों, पारंपरिक उद्योग क्लस्टरों और अन्य अवसंरचना, निर्यात संवर्धन, विपणन, प्रशिक्षण, टूल रूम और कौशल विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (घ) : भारत सरकार आंध्र प्रदेश राज्य सहित देशभर में एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के जरिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम आदि शामिल हैं।

भारत सरकार ने ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में वित्त तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए कई पहलें और उपाय किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्यम पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले में पंजीकृत एमएसएमई की संख्या का वर्ष और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

आंध्र प्रदेश राज्य के पालनाडु जिले के लिए उद्यम और यूएपी के अंतर्गत पंजीकृत कुल एमएसएमई का वर्ष-वार ब्यौरा				
वित्त वर्ष	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
2022-23	6,001	76	1	6,078
2023-24	15,100	53	-	15,153
2024-25	26,475	37	1	26,513
2025-26 (01/04/2025 - 30/11/2025)	14,272	20	-	14,292
कुल:-	61,848	186	2	62,036

(ii) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य मार्जिन मनी सब्सिडी के जरिए पारम्परिक कारीगरों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के जरिए स्व-रोजगार के अवसर सृजित करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं आदि जैसी विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में यह सब्सिडी 25 प्रतिशत है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत परियोजनाओं/इकाइयों की अधिकतम अनुमत्य लागत 50.00 लाख रुपए है तथा व्यवसाय, सेवा/व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत यह अनुमत्य राशि 20.00 लाख रुपए है, वर्ष/श्रेणी-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(iii) अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 17.09.2023 को पीएम विश्वकर्मा की शुरुआत की गई थी। इसमें पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र तथा पहचान पत्र के जरिए मान्यता प्रदान किया जाना, कौशल उन्नयन करना, टूलकिट इंसेंटिव, क्रेडिट सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए इंसेंटिव तथा विपणन सहायता प्रदान किया जाना शामिल है।

दिनांक 10.12.2025 की स्थिति के अनुसार पालनाडु जिले सहित आंध्र प्रदेश राज्य में इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पैरामीटरों में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा **अनुबंध-II में दिया गया है।**

(iv) सूक्ष्म**,** लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) का कार्यान्वयन करता है ताकि सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा किसी कोलेटरल सिक्युरिटी और तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए उन्हें क्रेडिट गारंटी प्रदान की जा सके।

गुंटूर जिला (पालनाडु सहित), आंध्र प्रदेश में सीजीएस स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित गारंटी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सीजीएस – अनुमोदित गारंटी - गुंटूर* जिला								
	महिला		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.पि.व.	
अवधि	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)**	**अनुमोदित गारंटियों की संख्या**	**अनुमोदित राशि (करोड़ रु. में)**
वर्ष 2000 में हुई शुरुआत से लेकर दिनांक 30.11.2025 तक संचित	49,718	940	9,470	167	1,909	36	14,783	308
* पालनाडु जिले (गुंटूर जिले के पूर्ववर्ती भाग) के लिए भी अनुमोदित गारंटियों सहित								

(ङ) : एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित स्कीमें केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं तथा वे मांग आधारित हैं जिनमें राज्य-वार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों से उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कुछ प्रमुख स्कीमों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) कई कार्यक्रम उद्यमिता जागरुकता कार्यक्रम, उद्यमिता सह-कौशल विकास कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, एडवांस ईएसडीपी तथा एडवांस एमडीपी पर आयोजित किए जाते हैं। अ.जा./अ.ज.जा. के सहभागियों के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रमों सहित भावी उद्यमियों के लिए एक-दिवसीय ईएपी का भी आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अ.जा./अ.ज.जा., महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व सैनिक तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं (पुरुषों और महिलाओं) को प्रोत्साहित करना है ताकि वे कॅरियर विकल्पों में से एक विकल्प के रूप में स्व-रोजगार अथवा उद्यमिता पर विचार करें और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण और देश में उद्यमिता संस्कृति को आत्मसात करवाएं ।

पलनाडु, आंध्र प्रदेश में आयोजित कार्यक्रमों तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या						
			सामाजिक श्रेणी			लिंग			कुल
			सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा	पुरुष	महिला	अन्य	
1	2024-25	4	84	31	45	39	121	0	**160**
2	2025-26 (दिनांक 04.12.2025 तक)	1	47	5	48	41	59	0	**100**
कुल		5	131	36	93	80	180	0	260

(ii) सरकार देशभर में सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम का उद्देश्य क्लस्टर विकास दृष्टिकोण अपनाकर एमएसएमई के समग्र विकास के लिए उसकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना करने तथा नई/मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उनके उन्नयन के लिए भारत सरकार की अनुदान राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पालनाडु जिले, आंध्र प्रदेश से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(iii) प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) स्कीम का उद्देश्य 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना तथा मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) का उन्नयन करना और एमएसएमई के लिए कौशलयुक्त श्रमशक्ति मुहैया कराने के लिए उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सामान्य अभियांत्रिकी, ऑटोमॉटिव अभियांत्रिकी, प्रीसीजन विनिर्माण, इलैक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम) तथा सुगंध और सुरस (एफएंडएफ) जैसे प्रमुख औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्रों में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने पर विशेष ध्यान करते हुए मौजूदा प्रौद्योगिकी केन्द्रों के नेटवर्क का उन्नयन और उनका विस्तार करना है।

(iv) खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए बाजार तक पहुंच संबंधी पहलों हेतु लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

मंत्रालय पीएमएस स्कीम के लाभार्थियों के राज्य-वार आंकड़ों का रखरखाव करता है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए लाभार्थियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	आंध्र प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या		
		अ.जा./अ.ज.जा.	महिला	कुल
1	2023-24	12	43	912
2	2024-25	1	33	562
3	2025-26 (आज की तारीख तक)	4	26	136

पिछले और चालू वित्त वर्ष के दौरान पीएमएस स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को जारी की गई संस्वीकृति का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

राज्य का नाम	जारी की गई कुल संस्वीकृति वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.12.2025 तक) में जारी की गई संस्वीकृति
आंध्र प्रदेश	41,80,655	37,78,007

****

अनुबंध –I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1874, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों के दौरान पालनाडु जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष/श्रेणी-वार संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वित्त वर्ष	सामान्य	अल्पसंख्यक	अ.पि.व.	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	महिलाओं की संख्या
1	2022-23	19	1	18	6	4	48	26
2	2023-24	43	2	17	21	23	106	56
3	2024-25	36	0	16	34	23	109	60

पालनाडु जिले में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत वर्ष-वार आवंटित, जारी की गई तथा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

			(लाख रु. में)	
क्र.सं.	वित्त वर्ष	आवंटित निधियां	जारी की गई निधियां	उपयोग की गई निधियां
1	2022-23	380.94	380.94	236.33
2	2023-24	374.00	636.59	636.59
3	2024-25	429.22	553.29	553.29

पिछले तीन वर्षों के दौरान पालनाडु में पीएमईजीपी के अंतर्गत प्राप्त, संस्वीकृति प्राप्त और संवितरण से जुड़े आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत	संवितरित	बैंकों के पास लंबित
अनुसूचित जाति				
2022-23	63	25	6	9
2023-24	368	35	21	68
2024-25	106	42	34	15

वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत	संवितरित	बैंकों के पास लंबित
अनुसूचित जनजाति				
2022-23	27	7	4	3
2023-24	136	33	23	44
2024-25	41	25	23	4

वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत	संवितरित	बैंकों के पास लंबित
अन्य पिछड़ा वर्ग				
2022-23	64	35	18	5
2023-24	189	58	17	22
2024-25	103	29	16	12

वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत	संवितरित	बैंकों के पास लंबित
अल्पसंख्यक				
2022-23	4	4	1	0
2023-24	22	3	2	4
2024-25	12	6	0	1

वर्ष	प्राप्त आवेदन	बैंकों द्वारा संस्वीकृत	संवितरित	बैंकों के पास लंबित
महिलाओं द्वारा भरे गए आवेदन				
2022-23	56	31	11	7
2023-24	389	51	25	58
2024-25	126	43	31	13

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1874, जिसका उत्तर दिनांक 11.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 10.12.2025 तक आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पैरामीटरों में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

पैरामीटर	अखिल भारत	आंध्र प्रदेश
पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या	30,00,000	2,22,947
आधारभूत कौशल प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले लाभार्थियों की संख्या	23,11,325	1,69,994
ऋण की संस्वीकृति प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या	5,23,316	42,994
संवितरित ऋणों वाले लाभार्थियों की संख्या	4,38,484	34,046
लाभार्थियों के घरों तक वितरित टूलकिटों की संख्या	10,90,878	65,401

दिनांक 10.12.2025 की स्थिति के अनुसार पालनाडु जिले, आंध्र प्रदेश में पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों की श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

श्रेणी	**पालनाडु**	**प्रतिशत** (%)	**आंध्र प्रदेश**	**प्रतिशत** (%)
महिला	4,010	54.5	1,08,510	48.7
पुरुष	3,340	45.5	1,14,437	51.3
अ.जा.	2,516	34.2	38,791	17.4
अ.ज.जा.	1,082	14.7	8,045	3.6
अ.पि.व.	2,997	40.7	1,39,636	62.6
सामान्य	755	10.4	36,475	16.4
दिव्यांगजन	68	0.9	1,689	0.8
अल्पसंख्यक	250	3.4	9,867	4.4
कुल	7,350	100	2,22,947	100

पिछले तीन वर्षों में पंजीकृत लाभार्थियों की सामाजिक श्रेणी-वार संख्या निम्नानुसार है:-

वित्त वर्ष	**महिला**	**पुरुष**	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व.**	**सामान्य**	**अल्पसंख्यक**	**कुल**
वित्त वर्ष 2023-24	20	110	56	1	66	7	3	130
वित्त वर्ष 2024-25	3,955	3,121	2,327	1,080	2,926	743	246	7,076
वित्त वर्ष 2025-26	35	109	133	1	5	5	1	144
कुल योग								7,350

पिछले तीन वर्षों में पालनाडु जिले के संबंध में आवेदन करने वाले, संस्वीकृति प्राप्त करने वाले तथा आवेदनों पर ऋणों के संवितरण से जुड़े लाभार्थियों की संख्या का श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

स्थिति	कुल	महिला	पुरुष	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	सामान्य	दिव्यांगजन	अल्पसंख्यक
कोलेटरल मुक्त ऋण के साथ संस्वीकृति (5 प्रतिशत ब्याज के साथ) प्राप्त करने वाले पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों की संख्या	810	368	442	265	51	416	78	5	34
संस्वीकृत ऋण राशि (रुपए में)	7,17,71,250	3,18,66,000	3,99,05,250	2,29,45,250	46,00,000	3,69,76,000	72,50,000	4,50,000	32,50,000
संवितरित कोलेटरल मुक्त ऋण (5 प्रतिशत ब्याज के साथ) वाले पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों की संख्या	757	341	416	245	48	390	74	5	31
संवितरित ऋण राशि (रुपए में)	6,72,21,250	2,95,66,000	3,76,55,250	2,11,95,250	44,50,000	3,46,76,000	69,00,000	4,50,000	29,50,000